माननीय न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, ग्वालियर म०प्र०

निगरानी - 2593 -II/2015 (182)

R. 2593-II/15

स्वामी प्रसाद तनय मोतीलाल त्रिवेदी
निवासी पृथ्वीपुर तहसील पृथ्वीपुर जिला-
टीकमगढ़ (म0प्र0)

-----अपीलार्थी

बनाम

(1) चैनू धोबी तनय हेमराज धोबी
निवासी पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ़ म0प्र0

(2) म0प्र0 शासन

--- उत्तरवादी गण

6396

आज प्राप्त

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्र0क्र0 / 227/निग0/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 8. 6. 2015 के विरुद्ध निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत ।

महोदय,

निगराकार का विनय सादर निम्न है :-

(1) यह कि अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर टीकमगढ़ का रा0प्र0क्र0/227 /निगरानी/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 8. 6. 2015 विधि विधान एवं वाक्यात पत्रावली के विरुद्ध है क्योंकि तहसीलदार पृथ्वीपुर का बगैर रिकार्ड बुलाये एवं अवलोकन बगैर आदेश पारित कर भारी कानूनी भूल की गयी है ऐसा आदेश विधि विरुद्ध होने से निरस्ती योग्य है ।

(2) यह कि उत्तरवादी चैनूधोबी तनय हेमराज धोबी निवासी पृथ्वीपुर के द्वारा शासकीय भूमि ख0नं0 4456 के अंशरकबा 20x40 वर्गफीट पर अनाधिकृत रूप से नींव खोदकर निर्माण कार्य कर अतिक्रमण किया गया था और पटवारी रिपोर्ट एवं जांच के आधार पर अतिक्रमण सिद्ध पाया गया था जिसके सम्बन्ध में तहसीलदार पृथ्वीपुर के द्वारा प्र0क्र0909/अ-68/2000-01 में पारित आदेश दिनांक 30. 11. 2000 के द्वारा म0प्र0 भू-रा0सं0 1959 की धारा 248 के तहत विधिवत कार्यवाही कर अनावेदक चैनू धोबी तनय हेमराज धोबी निवासी पृथ्वीपुर पर 1500/ -रूपया अर्थदण्ड आरोपित किया गया था तथा अतिक्रमण न हटाने

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2593–दो / 2015 जिला टीकमगढ़

स्वामी प्रसाद विरूद्ध चैनू धोवी आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
08–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 227 / निग0 / 2010–11 में पारित आदेश दिनांक 8–6–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 06–05–2019 को आयुक्त सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 08/3/19 सदस्य	